(233)

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
कौटिल्य नगर, पटना–14.

कार्यालय फोन– 0612-2950702

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 17 / 2023–24

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक– 05–07–2023
3. निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक– 16–08–2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 22–08–2023 अपराह्न 05.00 बजे तक ।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक– 24–08–2023 अपराह्न 03.00 बजे तक ।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक– 24–08–2023 को 03.30 बजे अपराह्न से ।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य : **Easypay.axisbank.co.in के द्वारा किया गया** भुगतान ही स्वीकार होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :
   - (क) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय ।
   - (ख) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि0पु0भ0नि0नि0, गेट न0–2. पटना ।
   - (ग) सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :
   - (क) रू0 3.50 लाख से नीचे की निविदा संबंधित कार्य प्रमण्डल में
   - (ख) रू0 3.50 लाख से उपर की निविदा बि0पु0भ0नि0नि0, मुख्यालय एवं अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि0पु0भ0नि0नि0, गेट न0–2. पटना ।
9. कार्य का विवरणी :– :

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, बि0पु0भ0 नि0 नि0, कार्य प्र0	प्राक्कलित राशि (लाख रू. में)	अग्रधन की राशि रू. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के आवास स्थित कार्यालय कक्ष एवं गोपनीय शाखा की छत एवं दीवार का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर	8.04	16100	1250	2 माह
2.	सिवान जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में पुलिस क्लब के बगल में स्थित 04 एल0 एस0 आवासीय बैरक 02 अदद का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर	6.65	13300	1250	2 माह
3.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वि0वि0स0पु0– 06 में समादेष्टा आवासीय परिसर स्थित गार्ड रूम का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर	8.63	17300	1250	2 माह
4.	मोतिहारी जिलान्तर्गत मोतिहारी में पुलिस कार्यालय स्थित सभागार भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर	8.35	16700	1250	2 माह
5.	मोतिहारी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र मोतिहारी में बैरक नं0– 01 का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं आंशिक मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर	4.90	9800	750	2 माह
6.	पटना जिलान्तर्गत पुलिस कार्यालय, पटना परिसर में सम्मेलन हॉल का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	9.26	18600	1250	2 माह
7.	पटना जिलान्तर्गत नवीन पुलिस केन्द्र, पटना सिथत सरकारी आवास सं0– 39, 40 एवं 119 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	7.34	14700	1250	2 माह
8.	पटना जिलान्तर्गत बी0एम0पी0–05 के परिसर में अवस्थित आई0 पी0 मेस का विद्युतिकरण कार्य।	पटना	2.52	5100	750	2 माह
9.	पटना जिलान्तर्गत पीरबहोर थाना परिसर स्थित पदाधिकारी सरकारी आवास सं0– 04 का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	पटना	3.62	7300	750	2 माह

क्र0पृ0उ0...2/

(232)

10.	पटना जिलान्तर्गत बि0वि0स0पु0–14 में परिवहन बैरेक के पास पानी सप्लाई का व्यवस्था का कार्य।	पटना	3.61	7300	750	2 माह
11.	पटना जिलान्तर्गत नवीन पुलिस केन्द्र, पटना स्थित सरकारी आवास सं0– 75, 83, 111 एवं 140 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	7.80	15600	1250	2 माह
12.	पटना जिलान्तर्गत मालसलामी थाना भवन/ मालखाना का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	पटना	6.74	13500	1250	2 माह
13.	पटना जिलान्तर्गत पी0 आइ0 आर0 (पुलिस अधिसूचना केन्द्र) पटना में भवन का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	पटना	4.82	9700	750	2 माह
14.	पटना जिलान्तर्गत श्री कृष्णापुरी थाना भवन/ बैरक का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	पटना	8.06	16200	1250	2 माह
15.	पटना जिलान्तर्गत वि0वि0स0पु0– 16 पटना में वाहिनी चाहरदिवारी का रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	पटना	8.48	17000	1250	2 माह
16.	पटना जिलान्तर्गत वि0वि0स0पु0– 16, पटना में वाहन पार्किंग हेतु पूर्व से निर्मित शेडनुमा गैरेज का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मति एवं रंग–रोगन का कार्य।	पटना	6.15	12300	1250	2 माह
17.	जहानाबाद जिलान्तर्गत परसविघा थाना में पदाधिकारी आवासीय भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	5.22	10500	1250	2 माह
18.	बक्सर जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मति कार्य।	पटना	8.81	17700	1250	2 माह
19.	कैमूर जिलान्तर्गत नुआँव थाना में 04 एल0 एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मगध	4.73	9500	750	2 माह

10. निविदा वैधता की अवधि 60 दिन होगी ।
11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु कार्य आवंटन आदेश होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का **शपथ–पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य होगा । सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।
13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
14. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेगें, जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित चल रहा है या जो आवंटित कार्य एकरारनामा नहीं किये है, या फिर शुरू नहीं किये है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची/ निलंबन/डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगें।
15. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
16. **परिमाण विपत्र का मूल्य easypay. axisbank.co.in (Category-others) online भुगतान करने के उपरान्त प्राप्त Challan प्रस्तुत करने पर स्वीकार होगा। भुगतान से संबंधित link website (bpbcc.co.in) पर भी उपलब्ध है। परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी।**
17. निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी तथा संबंधित नियम एवं शर्त्तें लागू होगी।
18. परिमाण–विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :– आयकर पैन नं0, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण–पत्र ।
19. निविदा के साथ भी निम्नलिखित सभी अद्यतन प्रमाण– पत्रों की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की **प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा।** निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।

कृ0पृ0उ0....3/

(231)

(i) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र।
(ii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(iii) पैन कार्ड की छायाप्रति।
(iv) GST निवंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(v) वैध चरित्र प्रमाण पत्र।
(vi) अग्रधन की राशि (EMD)
(vii) **शपथ पत्र मूल में**

20. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ **हस्ताक्षर करना अनिवार्य है** ।

21. अग्रधन की राशि (Earnest Money) 6/5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/ सावधि जमा/ किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत रूप से प्रतिज्ञापित किया हुआ हो, मान्य होगा। अगर पूर्व के किसी कार्य में प्रतिज्ञापित हो तो कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हो कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत विधिवत् कार्य के नाम तथा वापसी तिथि के साथ वापस किया गया हो। बैंक ड्राफ्ट, जो कार्य के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से निविदा आमंत्रित करने की तिथि के बाद का बना हुआ हो, मान्य होगा। **पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी** जायेगी। निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।

22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ अभिलेख में देखी जा सकती है।

23. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।

24. निविदा कागजात अध्याय–6 कंडिका–6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें एवं संलग्न किये गये कागजात को अंकित विवरणी के अनुसार मिलान कर चेक लिस्ट पर हस्ताक्षर करेंगे एवं एक प्रति हस्ताक्षरित चेक लिस्ट प्राप्त करेंगे अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।

25. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें एवं यथा निदेशित अभिलेखों / उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करेंगें अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।

26. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता हैं इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के कम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।

27 डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड एक वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जायेगा।

28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

29. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।

30. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगें। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।

32. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण विवरणी परिमाण विपत्र में देखी जा सकती है। संबंधित कार्यो का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।

(230)

33. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।

34. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक– 21–12–2022 के द्वारा पारित न्यायादेश के कम में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– प्र0–7/मुक0–02–25/2022–7635 (अनु0), पटना, दिनांक– 23–12–2022 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447 (S) दिनांक– 16–01–2020 सह पठित ज्ञापांक– 448(S) दिनांक– 16–01–2020 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तदआलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 2046 (S) दिनांक– 06–03–2014 के अनुसार प्रतिशत दर (Inpercentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली आगामी सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा 10 प्रतिशत होगी और 10 प्रतिशत से अधिक कम दर उद्धत निविदाएँ अमान्य की जाएगी। निविदाकारों द्वारा Serious Unbalanced कम दर उद्धत करने की स्थिति में पूर्ववत् Additional performance guarantee एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

35. निम्नलिखित आशय का **शपथ पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य है–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख',एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

3.7.23

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 2296 पटना, दिनांक– 03/07/23.

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मोनिटरिंग शाखा/ कार्य प्रमण्डल– पटना प्रमण्डल/पूर्णियाँ प्रमंडल/ भागलपुर प्रमण्डल/ दरभंगा प्रमण्डल/मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर/मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन एवं राजगीर प्रमण्डल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

3.7.23

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

कृ0पृ0उ0....5/

ज्ञापांक– एच0क्यू– 2296 पटना, दिनांक– 03/7/23

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल– 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल– एवं मोनिटरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण–1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

3.7.23

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 2296 पटना, दिनांक– 03/7/23

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज/ सिवान/ मुजफ्फरपुर/मोतिहारी/पटना/ कैमूर/ जहानाबाद एवं बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित ।

3.7.23

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।